

# डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)  
बईजलास सुनील कुमार मीणा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

1- सोमत सिंह पिता सरवण सिंह राजपूत निवासी रघुनाथपुरा तहसील शाहपुरा जिला  
भीलवाड़ा

- वादी

बनाम

- 1- गोविन्द सिंह पिता सुवा लाल मेहता निवासी रघुनाथपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- कल्याण पिता नानु नाई निवासी रघुनाथपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 3- देबी पिता धुकड़ जाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 4- रामदयाल पिता धुकड़ जाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 5- तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा एवं कराये जाने सीमांकन कृषि आराजियात

मुकदमा नम्बर 93/2015 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वारस्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व  
.....X ..... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी  
जाती है कि :-

वाद वादी अदम हाजरी अदम पैरवी खारिज किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख  
व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 20 माह 08 सन् 2025 को जारी की गई।



(सुनील कुमार मीणा)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलेक्टर, शाहपुरा